भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1748
दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

2047 तक 'विकसित भारत' बनाने हेतु भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण

1748 श्रीमती संगीता यादव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) ने पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को साकार करने के लिए कोई प्रयास किए हैं;
(ख) क्या डीओएलआर ने 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विशेष रूप से भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण के संबंध में, कोई रोडमैप या कार्य योजना तैयार की है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या विभाग 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में संभावित योगदान के आधार पर नई नीतियों/योजनाओं और विधायी प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहा है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) भारत सरकार, देश में भूमि अभिलेखों/रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण/कंप्यूटरीकरण के लिए वर्ष 2016-17 से केंद्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्तीय सहायता से डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) नाम से एक व्यापक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। भारत सरकार ने इस स्कीम को वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भूमि पर वास्तविक समय

(रियल टाइम) की सूचना में सुधार, भूमि संसाधनों के इष्टतम उपयोग, नीति और आयोजना में सहायता, आदि के लिए एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। डीआईएलआरएमपी प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), दिनांक 09.02.2026 के अनुसार 99.88% अधिकारों के अभिलेख (आरओआर) को कम्प्यूटरीकृत किया गया है, 97.41% भूकर मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया गया है और देश भर में 96.61% उप रजिस्ट्रार कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है, जो पांच वर्ष पहले क्रमशः 91%, 68% और 93% था।

(ख) तथा (ग) भूमि संसाधन विभाग ने विशिष्ट भू-खंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) या भू-आधार विकसित किया है जो प्रत्येक भू-खंड को प्रदान की गई 14 अंकों की अल्फा-न्यूमेरिक विशिष्ट पहचान संख्या है। यूएलपीआईएन या भू-आधार प्रदान करने के लिए, प्रत्येक भू-खंड को डिजिटलीकृत किया जाता है और इस के शीर्षों (अक्षांश-देशांतर) के भू-निर्देशांकों के साथ भू-संदर्भित किया जाता है। अब तक, 38 करोड़ से अधिकभू-खंडों को यूएलपीआईएन या भू-आधार प्रदान किए गए हैं। भूमि संसाधन विभाग का उद्देश्य किसी भी भूखंड की सीमाओं में कोई परिवर्तन, जो एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, होने पर प्रत्येक भूखंड को यूएलपीआईएन प्रदान करना है।

(घ) तथा (ङ) भूमि और भू-राजस्व, संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) की क्रम संख्या क्रमशः18 और 45 में सूचीबद्ध राज्य के विषय हैं, जिसमें भू-राजस्व प्रशासन प्रणाली, राज्य विशिष्ट अधिनियमों / नियमों / विनियमों द्वारा प्रशासित होती है। भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी भूमि प्रबंधन प्रणालियों में सुधार के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना जारी रखेगा।
